अध्याय III

अध्याय III

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.1 ऑटो स्विप सुविधा का लाभ न उठाने के कारण ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज की अपरिहार्य हानि

छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का गठन (मार्च 2018) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के रूप में किया गया। कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) के अंतर्गत ग्रामीण आवास निर्माण हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर वित्तीय व्यवस्थाएँ करना है।

कम्पनी ने, शासन की ओर से, कैनरा बैंक से ₹ 1,000 करोड़ का ऋण (सितम्बर 2018) प्राप्त किया। अनुपूरक समझौते (अक्टूबर 2018) की क्लॉज 4 (ख) के अनुसार, "कम्पनी को यह सुनिश्चित करना था कि पुनर्भुगतान दायित्वों की पूर्ति हेतु जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.)/ ग्रामीण विकास खातों में राशि उपलब्ध रहे, जिस पर बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार रहेगा"। तदनुसार, कम्पनी ने अपने कैनरा बैंक खाते को सामान्य ग्रहणाधिकार (अक्टूबर 2018) के रूप में रखा तथा अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान ₹ 55 करोड़ इस खाते में जमा किये। कैनरा बैंक अपने ग्राहकों को ऑटो–स्विप सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सुविधा, बैंक खाते में न्यूनतम शेष (₹ 10 लाख की सीमा) से अधिक की राशि को स्वतः सावधि जमा (एफ. डी.) में परिवर्तित कर देती है, जिस पर सावधि जमा के लिए प्रचलित दर से ब्याज प्राप्त होता है।

लेखा परीक्षण में (नवम्बर 2022) यह पाया गया कि कम्पनी ने ऑटो–स्विप सुविधा का लाभ न लेकर और इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि ऑटो स्वीप सुविधा में सामान्य बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर मिलती है ₹ 55.00 करोड़ की राशि कैनरा बैंक में ग्रहणाधिकार हेतु सामान्य बचत खाते में जमा कर दी। यदि कम्पनी ने उक्त ग्रहणाधिकार खाते हेतु ऑटो–स्विप सुविधा अपनायी होती तो 2018 से 2023 की अवधि के दौरान प्रचलित 3.25 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज अर्जित कर सकती थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी को ₹ 5.32 करोड़ की ब्याज की हानि हुई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट–10*** में दर्शाया गया है।

कम्पनी ने टिप्पणी को स्वीकार (अगस्त 2023) करते हुए अपने बचत बैंक खाते में ऑटो–स्विप सुविधा (जुलाई 2023) से लाभ उठाना प्रारंभ किया।

लेखा परीक्षा ने कम्पनी द्वारा कंडिका के बाद की गई सुधारात्मक कार्यवाही स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

यह आपत्ति शासन को (अगस्त 2024) टिप्पणियों हेतु प्रेषित किया गया था, किन्तु उत्तर (अगस्त 2025) प्राप्त नहीं हुआ।

रायपुर
दिनांक : 30 अक्टूबर 2025

(मो. फैजान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 10 नवम्बर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक